

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद जिला — गरियाबंद (छ0ग0)

7706-241350

Email dfogariaband@gmail.com

7706-241407

क्रमांक/मा.चि./भू-प्र./ 390

गरियाबंद, दिनांक 25/4/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर

विषय :- Diversion of forest Land non-forest Purpose undeer Forest Conserv ation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation and Upgrating of Panduka, Jatamai, Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Two Lane Public Road) Area - 24.569 ha.

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/ROAD/35248/2018

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-748/3024 दिनांक 12/09/2018

—000—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशो तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार वनमण्डलाधिकारी से अनुशंसा उपरांत प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी F.C. Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदकर्ता परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमण्डल में आरक्षित/संरक्षित/राजस्व वन क्षेत्र के कक्ष/खसरा क्रमांक RF 119,118,114,116,115,109,90, PF 76,117,113,111,94, खसरा क्रमांक 745,725,746,724,722,710,709,547,548,550,552,829,831,833,834,835,86,245,104,1752,1781,2, 12, 234,426,448,454,468 कुल 24.569 हे. की गांग पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागाँव मार्ग 2 लेन सड़क निर्माण हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं पोसेसिंग शुल्क हेतु रुपये 24000/- जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है एवं इससे सागौन/साल/मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं एवं वन की Site Quality II/III/IIIA/IIIB/IVA/IVB है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
(iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागाँव मार्ग 2 लेन सड़क निर्माण) हेतु मांग की जा रही वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
(iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनभूमि को मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वन हेतु संबंधित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले में राजस्व गैर वनभूमि/निजी भूमि/दुगनी बिगड़े वनभूमि/दुगने नारंगी आवेदनकर्ता/जिलाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

C:\Users\admin\Desktop\FCA - ADB 01-44 (24.569 ha.).docx

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि/वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस गैर वनभूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रुपये 457384.00 प्रति हे. की दर से तैयार कर संलग्न है।
8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न।
9. परियोजना का Cost Benefit Analysis तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है। परियोजना की B/S/Ratio - 1:4.39 है।
10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3 बी का उल्लंघन किया/नहीं किया है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve. प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेन्ट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण का भाग एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 5 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. आवेदन द्वारा शासन निर्देशानुसार 24.569 हेक्ट. वनभूमि की साईट क्वालिटी III एवं घनत्व 0.5 से 0.6 तक होने के कारण 803000.00 लाख प्रति हेक्ट. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
14. Land Reclamation/Catchment Area Treatment/fire Protection/ Safety Zone/Resettlement Plan अन्य मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।
15. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू होती/नहीं होती है। आवेदनकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही संलग्न है।

अनुशासित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 04 प्रति में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न :-1. परियोजना प्रतिवेदन (04 प्रतियों में)।
 2. DGPS सर्वे रिपोर्ट आवेदित क्षेत्र (04 प्रतियों में)।
 3. अपलोड फार्म A का पार्ट I एवं II

पृ.क्रमांक/मा.चि./ भू-प्र./ 391

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर।
- (2) कलेक्टर जिला गरियाबंद।
- (3) आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर।

(11)
 वनमण्डलाधिकारी
 गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद
 गरियाबंद, दिनांक 25/4/2020

(11)
 वनमण्डलाधिकारी
 गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद